भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.3

जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 04 दिसम्बर, 2023, अग्रहायण 13, 1945 (शक) को दिया जाना है

कुर्क की गई परिसंपत्तियों की बिक्री

+3. श्रीप्रभुभाई नागरभाई वसावा:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कुर्क की गई परिसंपत्तियों की बिक्री से उसे कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ है;
(ख)विगत तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा कुर्क की गई परिसंपत्तियों की बिक्री से उसे कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ है;
(ग)कुर्क की गई परिसंपत्तियों की समय पर बिक्री के लिए सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है;
(घ) क्या कुर्क की गई परिसंपत्तियों की समय पर बिक्री के लिए उच्चतम स्तर पर निगरानी सहित कोई सतत् निगरानी तंत्र मौजूद है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कुर्क की गई परिसंपत्तियाँ विशेष न्यायालय द्वारा जब्ती के बाद भारत सरकार को सौंप दी जाती हैं और अंतिम जब्ती आदेश हो जाने पर यह सरकार में निहित हो जाती है।आज की तारीख में, धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) और भगोडा आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए) के तहत कुल 16,543.95 करोड़ रुपये की राशि की परिसंपत्तियां जब्त की गई हैं। जिसमें से कुल 15,183.77 करोड़ रुपये की राशि की परिसंपत्तियां पीएमएलए के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को बहाल की गई हैं। इसके अलावा, धोखाधड़ी के पीड़ितों को 1220 करोड़ रुपये की राशि की परिसंपत्तियां लौटाई गई है। इस प्रकार पीएमएलए के तहत कुल 16,333.02 करोड़ रुपये की राशि की परिसंपत्तियां बहाल की गई हैं।

(ख): प्राप्त राजस्व का विवरण निम्नलिखित है :

वित्तीय वर्ष	**सीबीडीटी** **राशि (करोड़ रूपए में)**	**सीबीआईसी** **राशि (करोड़ रूपए में)**
2020-21	4.2869	1.03
2021-22	27.1925	4.23
2022-23	148.6822	0.90

(ग): आयकर विभाग ने आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची के प्रावधानों के तहत निर्धारित समय के भीतर कुर्क संपत्तियों की बिक्री कर दी है।

इसी प्रकार, सीबीआईसी के तहत अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण/ऋण वसूली न्यायाधिकरण/आधिकारिक परिसमापक में मामलों को आगे बढ़ाने के लिए,राजस्व के बकाया की वसूली और बट्टे खाते में डालने पर मुख्य परिपत्रसंख्या 1081/02/2022-सीएक्स दिनांक 19.01.2022 के अनुसार उचित कदम उठाए गए हैं।वे सरकारी मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति और मूल्यांकन पूरा होने के बाद एमएमटीसी जैसी एजेंसियों के माध्यम से नीलामी के लिए समयबद्ध कार्रवाई भी करते हैं।

(घ): जी हां, आयुक्तालय स्तर पर सीबीडीटी और सीबीआईसी दोनों के अधिकारियों द्वारा लगातार नजर रखी जा रही है।

(ङ): आयकर विभाग के पास विभिन्न तरीकों से कर बकाया की वसूली के लिए प्रणालियाँ हैं, जिसमें संपत्ति की कुर्की और बिक्री भी शामिल है, जो आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार कर वसूली अधिकारियों द्वारा की जाती है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), कुर्क संपत्तियों की समय पर बिक्री के माध्यम से बकाया कर की वसूली के लिए समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए कार्यालय ज्ञापन और अन्य प्रशासनिक दिशा निर्देश जारी करता है।

इसी प्रकार,सीबीआईसी के क्षेत्राधिकार प्रधान आयुक्त/आयुक्त विभिन्न न्यायालयों के मामलों के परिणामों को मॉनिटर करते हैं, जिनमें कुर्क की गई संपत्तियों के मामले लंबित हैं, ताकि सरकारी बकाया की वसूली के लिए उनका समय पर निपटान किया जा सके।

*****